

पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु आवेदन-

आवेदन प्रारूप

स्पष्ट फोटो
चिपकाएं

1. आवेदक का नाम:
2. पिता एवं माता का नाम:
3. जन्म तिथि(हाई स्कूल के अंकपत्र के अनुसार)
4. आयु (01 जुलाई 2021)ः.....वर्ष.....महीने.....दिन
5. जेंडर(महिला/पुरुष/अन्य)ः
6. श्रेणी(अनु0ज0जा0/अनु0जा0/पिछड़े/सामान्य)ः.....
7. पत्र व्यवहार का पता-
8. मोबाइल नम्बर.....
9. शैक्षिक योग्यता(उच्चतम शिक्षा तक प्रमाणपत्र के साथ)ः

क्र0	परीक्षा का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/ वि0	विषय	श्रेणी	प्रतिशत

10. कार्य का अनुभव(वर्ष में अंकित करें)ः
11. कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है- हां/नहीं।
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है। भरी गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक:

अनुबन्ध का प्रारूप

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं ग्राम प्रधान के मध्य अनुबन्ध हेतु अनुबन्ध पत्र का प्रारूप

(यह अनुबन्ध रू0 100/- के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाएगा)

यह अनुबन्ध आज सन 20.... के माहके.....वे दिन को ग्राम पंचायत..... विकास खण्ड.....जनपद.....के ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती.....पुत्र श्री निवासी ग्रामजनपद.....(जिसे एतदपश्चात पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्री.....पुत्र.....आयु.....निवासी.....ग्राम.....विकास खण्ड.....जनपद.....(जिसे एतदपश्चात कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

(1) यह ग्राम पंचायत सचिवालय के कार्यो एवं दायित्वों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को संविदा पर तैनात करने हेतु ग्राम पंचायत सहमत है तथा पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर भी संविदा पर कार्य करने हेतु सहमत है। अतः यह अनुबन्ध निम्न का साक्षी है-

1. यह कि ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर की संविदा पर नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होगी तथा यह संविदा की दिनांकसे प्रारम्भ होकर दिनांक.....तक प्रभावी मानी जायेगी।

2. यह कि संविदा की उक्त अवधि में संविदा पर नियुक्ति पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को रूपया 6000/- (रूपया छः हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से नियत मानदेय होगा और निर्धारित मानदेय की धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि किसी भी दशा में पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम- डाटा इन्ट्री आपरेटर को देय न होगी।

3. यह कि संविदा पर रखे गये पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर का कार्यकाल संविदा समाप्त होने की तिथि..... को पूर्ण हो जायेगा और इस तिथि को यह संविदा स्वयं ही निष्प्रभावी मानी जायेगी।

4. यह कि संविदा पर नियुक्त पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर का कार्य संतोषजनक पाये जाने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा नवीन संविदा के आधार पर पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को नियत अवधि के लिए पुनः रखा जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह कि संविदा अवधि में यदि पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर का कार्य व आचरण असन्तोषजनक पाया जाता है अथवा अनुचित आचरण में संलिप्तता पायी जाती है तो संविदा अवधि में किसी भी समय पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को सुनवाई का अवसर देकर ग्राम पंचायत द्वारा इस संविदा अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

6. यह कि पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के किसी कृत्य से ग्राम पंचायत की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है या किसी अन्य कृत्य से वित्तीय क्षति पहुँचती है तो इस क्षति की प्रतिपूर्ति पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा की जायेगी। इस निमित्त पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के द्वारा एक क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

7. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में ग्राम पंचायत का निर्णय पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को मान्य होगा।

8. इस अनुबन्ध विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा किया जायेगा।

उक्त के साक्ष्य में श्री.....पुत्र.....निवासी...ग्राम पंचायत की ओर से तथा श्री.....पुत्र.....निवासी.....(पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर) ने उपरलिखित दिनांक.....माह.....वर्ष.....को इस विलेख को निम्नांकित गवाहों के समक्ष निष्पादित कर लिया गया है।

प्रथम पक्ष (.....)

द्वितीय (.....)

मोहर

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत.....

पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री विकास

खण्ड.....जनपद.....

आपरेटर का नाम/पिता का नाम, निवासी

(ग्राम पंचायत की ओर)

(पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

से तथा उसके द्वारा अधिकृत)

गवाह- (1) नाम

पिता का नाम

निवासी

तिथि

गवाह-(1) नाम

पिता का नाम

निवासी

तिथि

गवाह- (2) नाम

पिता का नाम

निवासी

तिथि

गवाह-(2) नाम

पिता का नाम

निवासी

तिथि

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।